न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, (जिला–ब्यावर) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व प्रा0 पत्र सं0 : 72/2020
GCMS NO. : 2020/00199

–: वादीगण :–	बनाम	–: प्रतिवादीगण :–
1. नरपतसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह 2. उम्मेदसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह 3. श्रवणसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह 4. बजरंगसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह जातियान–पुरोहित, निवासीगण–निमाज, तहसील–जैतारण, जिला–ब्यावर।		1. नाथूसिंह पुत्र हरीसिंह 2. मोतीसिंह पुत्र माधूसिंह 3. भगवानसिंह पुत्र मोतीसिंह 4. गोरधनसिंह गोद पुत्र रावतसिंह जातियान– पुरोहित, निवासीगण– निमाज, तहसील– जैतारण, जिला–ब्यावर। 5. तहसीलदार जैतारण, तहसील–जैतारण जिला ब्यावर।

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू: 05/10/2020

उपस्थितः–
1. श्री रामस्वरूप चौधरी, श्री किशोर कुमावत, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री इमरान खां, श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 20/02/2024**

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा ग्राम निमाज प्रथम, पटवार हल्का निमाज प्रथम, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निमाज, तहसील जैतारण जिला ब्यावर में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त शामलाती अविभाजित खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 415 रकबा 1.9506 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 418 रकबा 2.9947 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 460 रकबा 1.5054 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 461 रकबा 1.6511 हैक्टेयर सभी [illegible] चाही प्रथम व खसरा नम्बर 419 रकबा 0.0081 हैक्टेयर किस्म [illegible] खसरा नम्बर 420 रकबा 0.1457 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 आबादी की आरी हुई है। जिसके राजस्व रेकर्ड में दर्ज हक–हिस्से अनुसार मौके पर वादीगण काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। उपरोक्त कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त शामलाती कृषि भूमि है जिसका बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के कानूनी बंटवाड़ा नहीं हो रखा है तथा उपरोक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.06 12:43:46 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जैतारण(ब्यावर)

कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर शांतिपूर्ण तरीके से काश्त व काश्त मुतालिक तमाम कार्य करते आ रहे है। परन्तु उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में शामलाती दर्ज होने से आये दिन प्रतिवादीगण वादीगण के साथ सीमा को लेकर विवाद करते रहते है एवं वादीगण की खन्दक/मेडबन्दी को तोडफोड कर देते है एवं कृषि भूमि को अकृषि कार्य में रूपान्तरण करवाये बिना ही कच्चा-पक्का निर्माण करने पर उतारु है एवं वादीगण के हक-हिस्से की भूमि मे जबरदस्ती अतिक्रमण कर कब्जा कर निर्माण कार्य करने पर आमादा है तथा वादीगण को हर समय उनके हक-हिस्से से बेदखल करने पर आमादा रहते है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हक-हिस्से व बंट की भूमि का नजरी नक्शा बनाकर वादपत्र के साथ संलग्न किया गया है जिसमें वादीगण के हक-हिस्से व बंट की भूमि को हरे रंग से दर्शाया गया है तथा प्रतिवादीगण के हक-हिस्से व बंट की भूमि को पीले रंग से दर्शाया गया है। नजरी नक्शे में बताये अनुसार ही वादीगण एवं प्रतिवादीगण मौके पर काबिज काश्त है। उक्त कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की अविभाजित कृषि भूमि होने से वादीगण अपने हक हिस्से व बंट की भूमि में आधुनिक तरीके से कृषि करने हेतु बैंक से ऋण नहीं ले सकते तथा अपनी कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण नहीं करवा सकते एवं अनेकों प्रकार की राज्य एवं भारत सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने से वंचित होना पड़ रहा है। इसलिए वादीगण ने प्रतिवादीगण को उक्त संयुक्त शामलाती अविभाजित कृषि भूमि जो मौके पर नजरी नक्शे में बताये अनुसार अपने हक-हिस्से बंट अनुसार बंटी हुई है का बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के कानूनी बंटवाड़ा करवाने हेतु दिनांक 27/08/2020 को कहा तो प्रतिवादीगण स्पष्ट रूप इंकार हुए एवं प्रतिवादीगण ने ऐलानिया कथन किया कि उक्त भूमि का बिना कानूनी बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के बंटवाड़ा करवाये ही उक्त भूमि का किसी अन्य अजनबी क्रेता को बेचान, हस्तान्तरण, रहन, वसीयत आदि कर देते एवं वादीगण के हक-हिस्से व बंट की भूमि मे अतिक्रमण कर कब्जा कर कच्चा-पक्का निर्माण कर देते है व वादीगण को उसके कब्जे काश्त से बेदखल कर देंगे। यदि प्रतिवादीगण अपने इन नापाक इरादों में कामयाब हो जाते हैं एवं वादीगण को उसके हक-हिस्से व बंट की भूमि से बेदखल कर देते है तो वादीगण को अपूरणीय क्षति होगी। इसलिए वादीगण के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वादपत्र बाबत बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। प्रतिवादीगण द्वारा किये जा रहे गैरकानूनी कृत्यों को रोके जाने बाबत् यह वादपत्र बाबत् बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान् के समक्ष पेश है। प्रतिवादी संख्या 5 तहसीलदार साहब, जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार है तथा बंटवाड़े के वाद में आवश्यक एवं प्रोपर पक्षकार होने से बतौर प्रतिवादीगण पक्षकार बनाया गया है। बिनाय दावा दिनांक 27/08/2020 को वादीगण प्रतिवादीगण को बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के बंटवाड़ा करने को कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा मना करने एवं बिना बंटवाड़ा शामलाती भूमि को बिना अनुमति बेचान, हस्तान्तरण करनें एवं वादीगण के हक हिस्से व बंट की भूमि पर जबरदस्ती अतिक्रमण कर कब्जा कर कच्चा-पक्का निर्माण करनें एवं वादीगण को उसके हक हिस्से व कब्जे से बेदखल

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.06 12:43:46 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जैतारण (पाली)

करनें की ऐलानिया धमकी देने पर बमुकाम निमाज तहसील जैतारण जिला ब्यावर में उत्पन्न हुआ जो श्रीमान् के श्रवणाधिकार में होने से उक्त वादपत्र अन्दर म्याद श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से वकालतनामा पेश किया गया, जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 4 ने जवाबदावा प्रस्तुत किया, जो शा.मि. है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 मय वादीगण ने एक तहरीरी राजीनामा पेश किया, जो शा.मि. है।

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 ने एक तहरीरी राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि वादीगण एवं राजीनामाकर्ता प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य होकर एक ही पूर्वज के उत्तराधिकारी एवं वारिसान है। इसलिए गॉव तथा समाज के मौजिज व्यक्तियों की उपस्थिति में आपसी समझाईस से वादीगण एवं राजीनामाकर्मा प्रतिवादीगण ने आपस में राजीनामा इस प्रकार कर लिया कि राजस्व रेकर्ड में दर्ज हक–हिस्से व बंट अनुसार सभी पक्षकारान का खाता व लगान अलग–अलग कर राजस्व रेकर्ड नक्शा ट्रेस में भी सभी पक्षकारान का हक–हिस्से व बंट की भूमि को अलग से तरमीम की जाती है तो उसमें राजीनामाकर्मा प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति ऐतराज नहीं है तथा इस हेतु हम राजीनामाकर्ता प्रतिवादीगण अपनी पूर्ण सहमति व स्वीकारोक्ति प्रदान करते है। इसलिए राजस्व रेकर्ड में दर्ज हमारे हक हिस्से अनुसार कानूनी बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के बंटवाड़ा का सभी पक्षकारान का खाता व लगान अलग कर राजस्व रेकर्ड में सभी पक्षकारान की कृषि भूमि अलग–अलग दर्शित की जावें, इस हेतु राजीनामा श्रीमान् के समक्ष पेश है।

प्रतिवादी संख्या 04 ने अपने जवाब दावा में कथन किया कि वादपत्र में दर्ज कृषि भूमि पक्षकारान की शामलाती खातेदारी की सरहद मौजा निमाज चक नम्बर 1 में स्थित हैं। जमाबन्दी में दर्ज हिस्सेनुसार काबिज होकर काश्त करते है। उक्त कृषि भूमि में उत्तरदाता प्रतिवादी का 1/5 हिस्से का बतौर खातेदार काश्तकार है। वादपत्र में वर्णित भूमि पक्षकारान/खातेदारान की शामलाती खातेदारी में दर्ज है परन्तु मौके पर बंटवाड़ा होकर खेतों के बीच खन्दक/माठे है। वादीगण द्वारा उत्तरदाता प्रतिवादी के लिये खेत की सीमा को लेकर खन्दक/मार्के पर न तो कभी विवाद किया न ही खुर्द–बुर्द की, न ही कृषि भूमि अकृषि कार्य कर वादी की भूमि पर अतिक्रमण कर मकान निर्माण करना व बेदखल करने आदि के कथन भी वाद करने की गरज से गलत व झूठे अंकित किये है। बल्कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 में आपस में सांठ गांठ कर उत्तरदाता प्रतिवादी के हिस्से में आई भूमि से बेदखल कर जबरदस्ती कब्जा करने [illegible] प्रतिदिन गाली गलोच करते हैं व मारपीट की जिसकी रिपोर्ट भी पुलिस थाना जैतारण में पेश की। वादीगण ने अपने द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शों में खातेदारान की मौके की वस्तुस्थिति का नक्शा बनाकर पेश किया, जो गलत है, जिससे उत्तरदाता प्रतिवादी पाबन्द नहीं है। वादीगण द्वारा बताये हिस्सेनुसार मौके पर खातेदारान का बंटवाड़ा नहीं हो रखा है। वादीगण कीमती व रास्ते की भूमि पर जबरदस्ती लाठी के बल पर कब्जा करना चाहते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.06 12:43:46 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर विश्नोई)
उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, [illegible] (ब्यावर)

उत्तरदाता प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शेनुसार वादी संख्या 1 से 3 की भूमि को हरे रंग से वादी संख्या 4 की भूमि को लाल रंग से प्रतिवादी संख्या 1 की भूमि को कैसरिया रंग से व प्रतिवादी संख्या 2 की भूमि को भूरे रंग से व प्रतिवादी संख्या 3 की भूमि को आसमानी रंग से तथा उत्तरदाता प्रतिवादी संख्या 4 की भूमि को पीले रंग से दर्शाया है उसी अनुसार मौके पर खेतों का बंटवाड़ा होकर काश्त करते है। पक्षकारान के मकान जहां निर्मित है उस भूमि को काले रंग से दर्शाया है। उत्तरदाता प्रतिवादी द्वारा बताये नक्शेनुसार वादीगण बंटवाड़ा करवाना चाहे तो सहमत है। वादीगण अपने हिस्से की भूमि मे काश्त कर बैंक से ऋण लेवे, कृषि भूमि को नियमानुसार एनओसी प्राप्त कर अकृषि कार्य करें उसमें उत्तरदाता प्रतिवादी ने कभी रोकटोक दखलन्दाजी नहीं की। वादीगण द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शेनुसार उत्तरदाता प्रतिवादी बंटवाड़ा करवाने पर सहमत नहीं है बल्कि मौके की स्थितिनुसार अर्थात् उत्तरदाता प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शेनुसार बंटवाड़ा करवाना चाहे तो सहमत है। वादीगण ने दिनांक 27.08.2020 को बंटवाड़ा करने बाबत कहने, इन्कार होने, बिना बंटवाड़ा करवाये भूमि को किसी अजनबी क्रेता को बैचान, हस्तान्तरण, रहन, वसीयत आदि करने व वादीगण के हक-हिस्से की भूमि में अतिक्रमण कर कच्चा-पक्का निर्माण करने व कब्जाकाश्त से बेदखल करने आदि के कथन भी वाद करने की गरज से गलत व झूठे अंकित किये है। उत्तरदाता प्रतिवादी ने ऐसे कोई भी गैरकानूनू कृत्य नहीं किये जिससे वादीगण के हक अधिकार प्रभावित हो रहे है। वाद में वर्णित भूमि में वादीगण के साथ उत्तरदाता प्रतिवादी भी खातेदार काश्तकार होने से वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। वादीगण ने बिनाय वाद दिनांक 27.08.2020 अंकित की जो गलत है। वादीगण को उत्तरदाता प्रतिवादी के विरुद्ध कोई विनायवाद पैदा नहीं होता है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र, शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात इत्यादि का गहनता से अध्ययन किया गया। जमाबंदी सरहद मौजा ग्राम निमाज प्रथम, पटवार हल्का निमाज प्रथम, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निमाज, तहसील जैतारण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त शामलाती अविभाजित खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 415 रकबा 1.9506 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 418 रकबा 2.9947 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 460 रकबा 1.5054 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 461 रकबा 1.6511 हैक्टेयर सभी किस्म चाही प्रथम व खसरा नम्बर 419 रकबा 0.0081 हैक्टेयर किस्म गै0मु0बेरा, खसरा नम्बर 420 रकबा 0.1457 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 आबादी सम्वत् 2073-2076 का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 बरूये राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज है, जिसमें माफिक राजस्व रेकर्ड अनुसार प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि ग्राम निमाज प्रथम, पटवार हल्का निमाज प्रथम, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निमाज, तहसील जैतारण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त शामलाती अविभाजित खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 415 रकबा 1.9506 हैक्टेयर, खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.06 12:43:46 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर विश्नोई)
उपखण्ड-अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर,जैतारण(ब्यावर)

418 रकबा 2.9947 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 460 रकबा 1.5054 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 461 रकबा 1.6511 हैक्टेयर सभी किस्म चाही प्रथम व खसरा नम्बर 419 रकबा 0.0081 हैक्टेयर किस्म गै0मु0बेरा, खसरा नम्बर 420 रकबा 0.1457 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 आबादी की आई हुई है। खसरा नम्बर 419 रकबा 0.0081 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 बेरा व खसरा नम्बर 420 रकबा 0.1457 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 आबादी होने से इनका बंटवाड़ा नहीं जा सकता है अतः वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 415, 418, 460, 461 का उभयपक्ष के हक-हिस्सों का माफिक राजस्व रिकार्ड भूमि का बंटवाड़ा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग-अलग दर्शाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2022/1139 दिनांक 05.12.2022 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/23/4529 दिनांक 21.08.2023 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित न्यायालय में प्रस्तुत की, शा0मि0 की गई।

अंतिम बहस वकील उभयपक्ष की सुनी गई। बहस के दौरान वकील उभयपक्ष ने वादग्रस्त आराजी का माफिक प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अनुसार बंटवाड़ा करने हेतु सहमति जाहिर की, आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकील उभयपक्ष एवं पालना रिपोर्ट पर गौर कर मनन किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने अपने हक हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज है। अतः भू-अभिलेख के खसरा नम्बर 415 रकबा 1.9506 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 418 रकबा 2.9947 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 460 रकबा 1.5054 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 461 रकबा 1.6511 हैक्टेयर सभी किस्म चाही प्रथम का माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद अंतिम डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश::-

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा ग्राम निमाज प्रथम, पटवार हल्का निमाज प्रथम, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निमाज, तहसील जैतारण में खसरा नम्बर 415 रकबा 1.9506 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 418 रकबा 2.9947 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 460 रकबा 1.5054 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 461 रकबा 1.6511 हैक्टेयर सभी किस्म चाही प्रथम भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकुनत	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
1.	उम्मेदसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह 1/3 नरपतसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह 1/3	418	2.40	चा.प्र.	0.58

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.06 12:43:46 IST
Reason: Self Attested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जैतारण (राज.)

	श्रवणसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह 1/3 जाति पुरोहित सा0 देह खातेदार				
2.	भगवानसिंह पुत्र मोतीसिंह हिस्सा पूर्ण जाति पुरोहित सा0 देह खातेदार	461/1 418/2	0.6807 0.0908	चा.प्र. चा.प्र.	0.19
3	नाथूसिंह पुत्र हरिसिंह हिस्सा पूर्ण जाति पुरोहित सा0 देह खातेदार	461	0.7715	चा.प्र.	0.19
4	बजरंगसिंह दत्तक पुत्र हीरा हिस्सा पूर्ण जाति पुरोहित सा0 देह खातेदार	460 415/1	1.5054 0.0827	चा.प्र. चा.प्र.	0.38
5	मोतीसिंह पुत्र माधु हि0 7906/23718 गोरधनसिंह दत्तक पुत्र रावतसिंह हि0 15812/23718 जाति पुरोहित सा0 देह खातेदार रहन–पूरा खाता S.B.I. शाखा निमाज	418/1 415	0.5039 1.8679	चा.प्र. चा.प्र.	0.57
6	गोरधनसिंह दत्तक पुत्र रावतसिंह 420/1989 नाथूसिंह पुत्र हरिसिंह 386/1989 बजरंगसिंह दत्तक पुत्र हीरा 322/1989 भगवानसिंह पुत्र मोतीसिंह 386/1989 मोतीसिंह पुत्र माधू 195/1989 उम्मेदसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह 93/1989 नरपतसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह 94/1989 श्रवणसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह 93/1989 जाति पुरोहित सा0 देह खातेदार रहन–गोरधनसिंह दत्तक पुत्र रावतसिंह का हिस्सा S.B.I. शाखा निमाज एवं मोतीसिंह पुत्र माधु का हिस्सा S.B.I. शाखा निमाज	461/2	0.1989	चा.प्र.	0.04

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर होवे/भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)

निर्णय आज दिनाँक 20/02/2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.06 12:43:46 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
मुकाम :– जैतारण जिला ब्यावर
बईजलास :– श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0

–: वादीगण :–	बनाम	–: प्रतिवादीगण :–
1. नरपतसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह 2. उम्मेदसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह 3. श्रवणसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह 4. बजरंगसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह जातियान–पुरोहित, निवासीगण–निमाज, तहसील–जैतारण, जिला–ब्यावर।		1. नाथूसिंह पुत्र हरीसिंह 2. मोतीसिंह पुत्र माधूसिंह 3. भगवानसिंह पुत्र मोतीसिंह 4. गोरधनसिंह गोद पुत्र रावतसिंह जातियान– पुरोहित, निवासीगण– निमाज, तहसील– जैतारण, जिला– ब्यावर। 5. तहसीलदार जैतारण, तहसील– जैतारण जिला ब्यावर।

मु0न0 :रा0वा0स0: 72/2020

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–. .... व हाजरी श्री रामस्वरूप चौधरी, श्री किशोर कुमावत, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्धई एवं श्री इमरान खां, श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि सरहद मौजा ग्राम निमाज प्रथम, पटवार हल्का निमाज प्रथम, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निमाज, तहसील जैतारण में खसरा नम्बर 415 रकबा 1.9506 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 418 रकबा 2.9947 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 460 रकबा 1.5054 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 461 रकबा 1.6511 हैक्टेयर सभी किस्म चाही प्रथम भूमि का बँट्वाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
1.	उम्मेदसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह 1/3 नरपतसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह 1/3 श्रवणसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह 1/3 जाति पुरोहित सा0 देह खातेदार	418	2.40	चा.प्र.	0.58
2.	भगवानसिंह पुत्र मोतीसिंह हिस्सा पूर्ण जाति पुरोहित सा0 देह खातेदार	461/1	0.6807	चा.प्र.	0.19
		461/2	0.0908	चा.प्र.	
3	नाथूसिंह पुत्र हरिसिंह हिस्सा पूर्ण जाति पुरोहित सा0 देह खातेदार	461	0.7715	चा.प्र.	0.19
4	बजरंगसिंह दत्तक पुत्र हीरा हिस्सा पूर्ण जाति पुरोहित सा0 देह खातेदार	460	1.5054	चा.प्र.	0.38
		415/1	0.0827	चा.प्र.	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.06 12:43:46 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण

5	मोतीसिंह पुत्र माधु हि0 7906/23718 गोरधनसिंह दत्तक पुत्र रावतसिंह हि0 15812/23718 जाति पुरोहित सा0 देह खातेदार रहन–पूरा खाता S.B.I. शाखा निमाज	418/1 415	0.5039 1.8679	चा.प्र. चा.प्र.	0.57
6	गोरधनसिंह दत्तक पुत्र रावतसिंह 420/1989 नाथूसिंह पुत्र हरिसिंह 386/1989 बजरंगसिंह दत्तक पुत्र हीरा 322/1989 भगवानसिंह पुत्र मोतीसिंह 386/1989 मोतीसिंह पुत्र माधू 195/1989 उम्मेदसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह 93/1989 नरपतसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह 94/1989 श्रवणसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह 93/1989 जाति पुरोहित सा0 देह खातेदार रहन–गोरधनसिंह दत्तक पुत्र रावतसिंह का हिस्सा S.B.I. शाखा निमाज एवं मोतीसिंह पुत्र माधु का हिस्सा S.B.I. शाखा निमाज	461/2	0.1989	चा.प्र.	0.04

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर लेखा/भण्डार जमा हो।

नीज.....–.....मुबलिक.....–.....बाबत.....–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–..... को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 20/02/2024 को जारी किया गया।

मोहर

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण
जिला–ब्यावर(राज0)

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	4.00		स्टाम्प वकालतनामा	3.00	
स्टाम्प वकालतनामा	1.00		स्टाम्प अर्जी	1.00	
स्टाम्प वजह सबूत	0.00		महनताना वकील	0.00	
महनताना वकील	0.00		खर्चा गवाहान	0.00	
खर्चा गवाहान	3.00		फीस कमीश्नर	0.00	
फीस कमीश्नर	0.00		बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00			0.00	
मिजानः–	8.00			4.00	

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.06 12:43:46 IST
Reason: SelfAttested